शेखावाटी यात्रा के पहले दिन सीकर जिले में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ

जनता और कार्यकर्ताओं ने यमुना जल तथा बजट घोषणाओं के लिये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी का किसान बहुत मेहनती है तथा यहाँ का युवा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये भी आगे रहता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार से शेखावाटी के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के पहले दिन उन्होंने सीकर में जनसुनवाई की।

जयपुर/सीकर, 19 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शनिवार को जयपुर से शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू का तीन दिवसीय दौरा प्रारम्भ हुआ। शर्मा की इस यात्रा में पहले दिन जयपुर एवं सीकर जिले के विभिन्न स्थानों पर आमजन द्वारा उत्साह के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान, जगह-जगह पर आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं ने शेखावाटी अंचल में यमुना का पानी लाने का मार्ग प्रशस्त करने एवं बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं, सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ रही।

मुख्यमंत्री ने श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सरगोठ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आमजन से शेखावाटी के क्षेत्र में यमुना का जल लाने की बात कही थी और इस पर हमने काम भी किया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसके घोषणा पत्र में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर राजस्थान से किया गया यमुना जल समझौता रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यमुना जल समझौते पर काम करते हुए, टास्क फोर्स का गठन हुआ और डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का जल आने से किसान को फायदा मिलेगा। हम राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिए काम करते हैं।

इस अवसर पर, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोवर्धन वर्मा, कुलदीप धनखड़, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। वहीं, मुख्यमंत्री का खण्डेला के रींगस में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की ओर से अभिनंदन किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात खण्डेला विधानसभा क्षेत्र को दी गई है। इस अवसर पर विधायक सुभाष मील, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसाना में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके पश्चात आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन शेखावाटी के लिए यमुना का जल नहीं ला पायी, जबकि हम राजस्थान की हर समस्या के समाधान के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र का किसान बहुत मेहनती है, वहीं, यहां का युवा देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी आगे रहता है। उन्होंने कहा कि कुंभाराम लिफ्ट के लिए भी हमने बजट में वित्तीय प्रावधान किया है।

पंजाब ने विदेश से संचालित 2 आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किये

चंडीगढ़ , 19 अप्रैल। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे दो अलग-अलग आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ करके, राज्य में अशांति पैदा करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और एक लॉन्चर सहित दो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) तथा भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि दो अलग-अलग खुफिया ऑपरेशनों में काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर और जिला पुलिस बटाला ने दोनों मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है और एक नाबालिग सहित, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यादव ने कहा, पाकिस्तान स्थित आईएसआई द्वारा प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल को बीकेआई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिसके दो प्रमुख संचालन नोड थे- फ्रांस स्थित सतनाम सिंह उर्फ सत्ता और ग्रीस स्थित जसविंदर सिंह उर्फ मन्नू अगवान।

यमुना जल लाने की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल

राजस्थान व हरियाणा की टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक 25 अप्रेल को हिसार में होगी

■ झुंझुनूं और चूरु जिले में यमुना का पानी लाने की योजना के त्वरित व प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार ने अति मुख्य अभियंता, यमुना जल का नया पद सृजित किया है।

जयपुर, 19 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रेल को झुन्झुनु जिले के पिलानी में हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक से पूर्व, यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे।

दोनों राज्यों की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक का आयोजन आगामी 25 अप्रेल को हिसार में प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1994 में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं नई दिल्ली के बीच हुए यमुना जल समझौते के अन्तर्गत, ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) पर मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) में 1917 क्यूसेक (वार्षिक 577 एम.सी.एम.) जल राजस्थान को आंवटित किया गया था। लेकिन आवंटित जल को राजस्थान लाने के लिए 30 वर्षों से गतिरोध बना हुआ था। इस गतिरोध को दूर करते हुए, 17 फरवरी को राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमन्त्रियों एवं केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री की उपस्थिति में समझौता हुआ।

समझौते के तहत, प्रथम चरण में ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) से पेयजल हेतु जल को राजस्थान लाने के लिए प्रवाह प्रणाली की संयुक्त रूप से डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। इस योजना के तहत, तीन भूमिगत पाइपलाईनों के माध्यम से हथिनीकुंड बैराज से चुरू जिले में हांसियावास जलाशय तक जल लाया जाना प्रस्तावित है। ऊपरी यमुना बेसिन (हथिनीकुण्ड बैराज के अपस्ट्रीम) में रेणुकाजी व लखवार स्टोरेज परियोजनाओं का एमओयू हो चुका है, जिसके अनुरूप राजस्थान द्वारा हिस्सा राशि 77 करोड 90 लाख रूपये का भुगतान हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को किया जा चुका है। किशाऊ का एमओयू होना शेष है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद हथिनीकुण्ड बैराज पर राजस्थान के हिस्से का 201 एमसीएम जल मानसून पश्चात् वर्ष पर्यन्त इन्हीं पाइपलाइनों से राजस्थान को उपलब्ध हो सकेगा।

योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, यमुना जल का नवीन पद सृजित किया गया है।

जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अदालत ने मामले में रिश्वत राशि का लिफाफा लेने वाले जीप चालक कैलाश चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्यों से आमजन में लोक सेवकों के प्रति अविश्वास का भाव पैदा होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने बताया कि राम बच्चन यादव ने 7 मई, 2010 को एसीबी में शिकायत दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपना मकान बना रहा है। कुछ दिन पहले अभियुक्त मौके पर आए और नोटिस नहीं देने और निर्माण नहीं तोड़ने की एवज में उससे 40 हजार रुपए मांगे। रकम नहीं देने पर निर्माण तोड़ने की धमकी दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और सौदा 7 हजार रुपए में तय हुआ। इस पर एसीबी ने 10 मई को तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी व जीप चालक को गिरफ्तार किया और बाद में 25 मई को फील्ड सहायक को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उनसे रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें दोषमुक्त किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

दिल्ली में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 11 की मौत

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात ढ ाई बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढ ह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए। इनमें से 5 गंभीर रूप से घायलों का इलाज अब भी जारी है। 20 साल पुरानी चार मंजिला इमारत के गिरने के बाद 12 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

हादसे के बाद, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमों ने घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस के मुताबिक, इमारत में 22 लोग

■ बिल्डिंग के मालिक तहसीन व उसके परिवार के 6 सदस्य भी हादसे में मारे गये।

थे। इनमें बिल्डिंग के मालिक तहसीन और उनके परिवार के 6 सदस्य भी मारे गए। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेन्द्र अटवाल ने बताया कि देर रात एक मकान ढ हने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग ढ ह गई है और लोग मलबे में फंसे हुए हैं।

दरअसल, शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज बारिश और आंधी-तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की यह इमारत भी ढह गई।

धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधेयक तीन महीने में निपटा दिये जायें।

निशिकान्त दुबे ने देश की सबसे ऊंची अदालत के खिलाफ 'अराजकता' तथा 'धार्मिक' युद्ध भड़काने' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।

दुबे का यह बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस टिप्पणी की अगली कड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "अनुच्छेद 142 लोकतान्त्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइन बन गया है।"

उपराष्ट्रपति ने यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद की थी, जिसमें न्यायालय ने राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के लिए विधेयकों को निपटाने की एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी।

स्थिति बड़ी अजीबो-गरीब तथा जटिल होती जा रही है। शीर्ष नेतृत्व अपने खास लोगों के जरिए अस्तव्यस्तता का माहौल पैदा करने तथा संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है।

अब तक अधिकांश मुद्दों से निपटने का भाजपा का अपना एक खास तरीका रहा है, लेकिन अचानक ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्थितियां उसके हाथों से फिसल रही हैं, तथा इसलिए उसे न्यायपालिका पर निशाना साधने तथा उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने की जरूरत पड़ रही है।

अपहरण कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 22 मई, 2023 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह 23 मार्च, 2023 को कोचिंग गई थी।

रास्ते में उसकी भाभी का भाई और एक अन्य लड़का उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए। दोनों अभियुक्तों ने उसे नशीला पेय पिलाया और दिल्ली ले गए। यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद, उसे चंडीगढ़ और शिमला ले गए। जहां छह दिन तक दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

मुख्य अभियन्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी नहीं दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी सुनवाई से तीन दिन पहले अदालत में रिकॉर्ड पेश कर दिया जाता है तो फिर मुख्य अभियंता को आने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि हाईकोर्ट ने सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों की साल 1947 और 1955 की स्थिति पुन: कायम करने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में भरतपुर की सीएफसीडी के किनारों पर 272 अतिक्रमण चिन्हित किया गए थे। प्रशासन इनमें से 171 से अधिक अतिक्रमणों को हटा चुका है। वहीं दूसरी ओर, प्रभावितों की ओर से कहा गया था कि वे साल 1947 से पहले से इस जमीन पर काबिज हैं। अदालत ने मामले में 21 नवंबर, 2024 को आदेश जारी करते हुए, सीएफसीडी के मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने को कहा था।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दाखिल करने का समय दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप की प्रत्यक्ष आलोचना के रुप में देखा जा रहा है, जिससे विवाद गहरा गया है। उन्होंने कानून बनाने में संसद की सर्वोच्चता पर ज़ोर दिया और न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। कई लोगों ने इन टिप्पणियों को, वक्फ अधिनियम संशोधनों पर न्यायपालिका की चल रही सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास माना है।

संशोधित वक्फ अधिनियम के समर्थकों का कहना है कि ये सुधार वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और समावेशिता (इन्क्लूसिविटी) को बढ़ाने के लिए हैं। इस अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य भारतीय समाज की विविधता को दर्शाना है। तथापि, अधिनियम के आलोचकों का मानना है कि ये बदलाव मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इन संशोधनों को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है और सरकार पर हिंदुत्व एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित, कई संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि ये संशोधन वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

जैसे-जैसे एक सप्ताह की समय सीमा नजदीक आ रही है, सबकी निगाहें केन्द्र सरकार के आगामी हलफनामे पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 मई को लिया जाने वाला फैसला, वक्फ (संशोधन) अधिनियम के भविष्य और विधायी अधिकार तथा न्यायिक निगरानी (जुडीशियल ओवरसाइट) के बीच संतुलन तय करने में निर्णायक साबित होगा।

धनखड़ की राजनीतिक भूमिका को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका न्यायपालिका से टकराना उपयुक्त है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इसी तरह के उनके व्यवहार को याद किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री 22-23 को सऊदी अरब जायेंगे

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा होगी। यह यात्रा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री की सितंबर 2023 में जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझीदारी परिषद की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता के लिए नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के बाद की जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क के लंबे इतिहास के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्माण कराने के आदेश जारी करवाना, कुछ गिनी चुनी कंपनियों की मदद से फंड की राशि की हेराफेरी करने जैसा ही प्रतीत होता है। विशेषकर इस आरोप को इस तथ्य से और बल मिलता है कि जिन सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान आई.सी.यू./एन.आई.सी.यू बनाये गये थे, उनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया। ये मानक संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। महंगी दरों पर आई.सी.यू. का निर्माण किया गया। ज्यादातर अस्पतालों में कोई नया निर्माण

■ यह भी सच है, कि एस.डी.आर.एफ. का उपयोग आई.सी.यू. जैसे स्थाई निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पूर्व में जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में इस निधि से 110 करोड़ रुपये खर्च करके चार आई.सी.यू. वार्ड बनाने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था, परंतु बाद में चिकित्सा विभाग ने दो अलग-अलग आदेशों से एस.डी.आर.एफ. फंड से आई.सी.यू. निर्माण कराने के आदेश जारी किए।

■ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन तथाकथित आई.सी.यू., एन.आई.सी.यू और पी.आई.सी.यू में स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैण्डर्ड्स (आई.पी.एच.एस.) की गाइड लाइंस की पालना नहीं की गई, जिनके अनुसार,150 वर्ग फीट के दायरे में सिर्फ एक मरीज का बिस्तर होना अनिवार्य है, ताकि मरीजों में संक्रमण न फैले।

नहीं किया गया। और कोविड महामारी के खत्म होते ही, इनका या तो उपयोग बंद कर दिया गया या इन्हें नियमित वार्ड में बदल दिया गया।

पाठकों को बता दें कि एस.डी.आर.एफ़.फंड के उपयोग के लिये समय-समय पर नियम-कायदों में भी परिवर्तन किया गया है, जिनके बारे में कोविड-19 से पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2015 को दिशा निर्देश जारी किए थे और फिर कोविड काल में मार्च एवं अप्रैल 2020 को भी दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अनुसार, आई.सी.यू. जैसे स्थायी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं थी, लेकिन गहलोत सरकार के नियमों का उल्लंघन कर उक्त बड़ी राशि को खर्च कर दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और 8 अप्रैल 2015 को जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आधारभूत संरचना का निर्माण, लम्बी अवधि अथवा स्थायी मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सकता तथा ऐसे खर्चे राज्य सरकार को अपने बजट से करने चाहिए। हैरानी की बात है कि सभी नियम- कायदों की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने कोविड महामारी के चरम पर 31 मार्च 2021 को आदेश जारी करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्तीय स्वीकृति दी और प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों मे आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू के निर्माण के लिए 19295.70 लाख रूपये (जिसमें 131 करोड़ रूपए की राशि आई सी यू/पी आयी सी यू तथा एनआई सी यू हेतु उपकरणों की खरीद सहित, टर्नकी निर्माण शामिल) की राशि मुहैया करवाई थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नियमानुसार, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के फण्ड के उपयोग के लिए वर्ष 2015, फिर वर्ष 2022 और फिर वर्ष 2023 में नियम-कायदे संशोधित किए गए थे और इनमें भी स्थायी निर्माण, दीर्घावधि मरम्मत और आधारभूत संरंचना हेतु स्थाई निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में सख्त मनाही है।

गौरतलब है कि इसी नियम के चलते राज्य के एस.डी.आर.एफ. विभाग ने जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 वार्ड बनाने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा भेजे गए 110 करोड़ के प्रस्ताव को यह कहते हुए वापस भिजवा दिया था कि उक्त कार्य एस डी आर एफ में मान्य नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि वार्डों के निर्माण के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर एस डी आर एफ मद से निर्माण की सलाह वित्तीय नियंत्रण एवं अनुशासन हेतु उत्तरदायी वित्त विभाग द्वारा दी गयी थी।

कुछ ही दिन बाद, चिकित्सा विभाग ने नियम को जानते हुए पुन: एस.डी.आर.एफ. के फंड से जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 30 बिस्तर के 2 एनआईसीयू बनाने के लिए 920 लाख रूपये आवंटित किए। झालावाड़ में 20 बिस्तर के आईसीयू और 20 बिस्तर के एनआईसीयू के निर्माण के लिए 456 लाख और 307 लाख रूपये की राशि देने की स्वीकृति दी। चूरू मेडिकल कॉलेज में भी 20 बिस्तर के आईसीयू और 10 बिस्तर के एनआईसीयू के लिए 456 लाख रूपये और 167 लाख रूपये की राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी। और ऐसी ही स्थिति पाली, बाड़मेर, सीकर, भीलवाडा, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर में भी देखी गई। दस्तावेजों को देखने से जाहिर होता है कि पहले यह स्वीकृति मेडिकल उपकरणों को खरीदने के लिये दी गई थी, जो नियमों में स्वीकृत है, परंतु यह फंड कुछ गिनी चुनी कंपनियों को अस्वीकृत निर्माण कार्य करने के लिये दिया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन तथाकथित आई.सी.यू., एन.आई.सी.यू और पी.आई.सी.यू में, स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैण्डर्ड्स (आई.पी.एच.एस.) की गाइड लाइंस की पालना नहीं की गई, जिनके अनुसार,150 वर्ग फीट के दायरे में सिर्फ एक मरीज का बिस्तर होना अनिवार्य है, ताकि मरीजों में संक्रमण न फैले।

(क्रमशः)

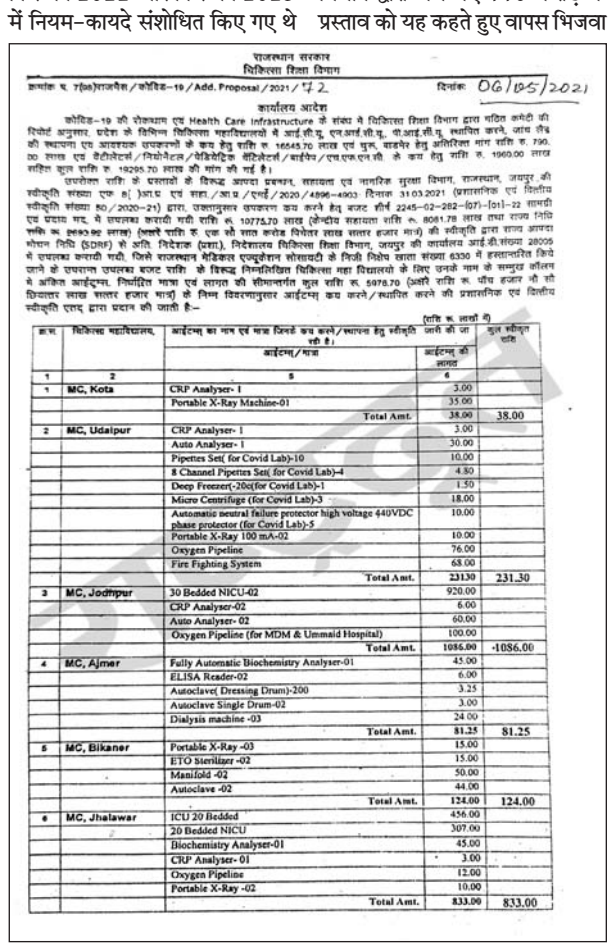

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक प. 7(ब)राजपैस/कोविड-19/Add. Proposal/2021/72 दिनांक 06/05/2021

कार्यालय आदेश

कोविड-19 की रोकथाम एवं Health Care infrastructure के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट अनुसार, प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में आई.सी.यू. एन.आई.सी.यू. पी.आई.सी.यू. स्थापित करने, जांच लैब की स्थापना एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु राशि रु. 16545.70 लाख एवं भूमि, बाउंड्रीवाल हेतु अतिरिक्त मांग राशि रु. 790.00 लाख एवं वेंटीलेटर्स/नेबुलाईजेटर/वेक्सिनेटिक वेंटीलेटर्स/कार्डियो/एच.एफ.एन.सी. के क्रय हेतु राशि रु. 1960.00 लाख सहित कुल राशि रु. 19295.70 लाख की मांग की गई है।

उपरोक्त राशि के प्रस्तावों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति संख्या एफ. 8( )आ.प्र. एवं सहा./आ.प्र./एनई/2020/4896-4903 दिनांक 31.03.2021 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 80/2020-21) द्वारा, उक्तानुसार उपकरण क्रय करने हेतु बजट शीर्ष 2245-02-282-(07)-(01)-22 सामग्री एवं प्रयोग मद, में उपलब्ध करायी गयी राशि रु. 10775.70 लाख (केन्द्रीय सहायता राशि रु. 8061.70 लाख तथा राज्य निधि राशि रु. 2690.00 लाख) (समकी राशि रु. एक सौ नवा करोड़ तिरेसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर की कार्यालय आई.डी.संख्या 28005 में उपलब्ध करायी गयी, जिसे राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के निजी निक्षेप खाता संख्या 6330 में हस्तान्तरित किये जाने के उपरान्त उपलब्ध बजट राशि के विरूद्ध निम्नलिखित चिकित्सा महा विद्यालयों के लिए उनके नाम के समुख कॉलम में अंकित आईटम्स, निर्धारित मात्रा एवं लागत की सीमान्तर्गत कुल राशि रु. 5978.70 (अंकों राशि रु. पाँच हजार नौ सौ तिहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) के निम्न विवरणानुसार आईटम्स क्रय करने/स्थापित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(राशि रु. लाखों में)

क्र.स.	चिकित्सा महाविद्यालय	आईटम्स का नाम एवं मात्रा जिनके क्रय करने/स्थापना हेतु स्वीकृति जारी की जा रही है। आईटम्स/मात्रा	आईटम्स की लागत	कुल स्वीकृत राशि
1	2	5	6	
1	MC, Kota	CRP Analyser- 1	3.00	
		Portable X-Ray Machine-01	35.00	
		Total Amt.	38.00	38.00
2	MC, Udaipur	CRP Analyser- 1	3.00	
		Auto Analyser- 1	30.00	
		Pipettes Set(for Covid Lab)-10	10.00	
		8 Channel Pipettes Set(for Covid Lab)-4	4.80	
		Deep Freezer(-20c)(for Covid Lab)-1	1.50	
		Micro Centrifuge (for Covid Lab)-3	18.00	
		Automatic neutral failure protector high voltage 440VDC phase protector (for Covid Lab)-5	10.00	
		Portable X-Ray 100 mA-02	10.00	
		Oxygen Pipeline	76.00	
		Fire Fighting System	68.00	
		Total Amt.	231.30	231.30
3	MC, Jodhpur	30 Bedded NICU-02	920.00	
		CRP Analyser-02	6.00	
		Auto Analyser- 02	60.00	
		Oxygen Pipeline (for MDM & Ummaid Hospital)	100.00	
		Total Amt.	1086.00	-1086.00
4	MC, Ajmer	Fully Automatic Biochemistry Analyser-01	45.00	
		ELISA Reader-02	6.00	
		Autoclave(Dressing Drum)-200	3.25	
		Autoclave Single Drum-02	3.00	
		Dialysis machine -03	24.00	
		Total Amt.	81.25	81.25
5	MC, Bikaner	Portable X-Ray -03	15.00	
		ETO Sterilizer -02	15.00	
		Manifold -02	50.00	
		Autoclave -02	44.00	
		Total Amt.	124.00	124.00
6	MC, Jhalawar	ICU 20 Bedded	456.00	
		20 Bedded NICU	307.00	
		Biochemistry Analyser-01	45.00	
		CRP Analyser- 01	3.00	
		Oxygen Pipeline	12.00	
		Portable X-Ray -02	10.00	
		Total Amt.	833.00	833.00
7	MC, Churu	ICU 20 Bedded	456.00	
		NICU 10 Bedded	167.00	
		Portable X-RayMachine -300 mA-01	5.00	
		Hemodialysis machine-02	16.00	
		CRP Analyser-01	3.00	
		Total Amt.	647.00	647.00
8	MC, Barmer	10 Bedded NICU	167.00	
		ECG Machine-05	3.00	
		Total Amt.	170.00	170.00
9	MC, Pali	ICU 20 Bedded	456.00	
		NICU 10 Bedded	167.00	
		Hemodialysis machine-02	16.00	
		Biochemistry Analyser-01	45.00	
		CRP Analyser-01	3.00	
		Deep-Freezer(-20c)	1.50	
		ECG Machine -06	3.60	
		Total Amt.	692.10	692.10
10	MC, Sikar	ICU 20 Bedded	456.00	
		NICU 12 Bedded	200.40	
		Autoclave Horizontal-02	36.00	
		Spirometer -02	8.00	
		ECG Machine -05	3.00	
		Total Amt.	703.40	703.40
11	MC, Bhilwara	ICU 20 Bedded	456.00	
		Hemodialysis machine-02	16.00	
		DG Set-01	25.00	
		Horizontal Autoclave -01	7.00	
		Warmer with Oil filter-01	1.05	
		Oxygen Manifold	3.00	
		ECG Machine -03	1.80	
		Total Amt.	509.85	509.85
12	MC,Dungarpur	ICU20 Bedded	456.00	
		NICU 10 Bedded	167.00	
		CRP Analyser-01	3.00	
		Jumbo Oxygen Cylinder D Type-05	0.35	
		Vertical Autoclave -01	1.30	
		Static X-Ray 300 Ma-01	4.15	
		Static X-Ray 600 Ma-02	8.00	
		Two-Wheeler Ambulance-02	7.00	
		Total Amt.	646.80	646.80
13	MC,Bharatpur	10 Bedded PICU	167.00	
		Auto Analyser- 1	30.00	
		Oxygen Pipeline for RBM (02)	8.00	
		Oxygen Pipeline for Zenana NICU/PICU)	6.00	
		ECG Machine -05	3.00	
		Total Amt.	214.00	214.00
		Grand Total Amt.		5976.70

(अंकों राशि रु. पाँच हजार नौ सौ तिहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)

उक्त स्वीकृति आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गयी स्वीकृति में अंकित शर्तों के अध्यधीन रहेगी।

1. आवंटित राशि का उपयोग करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दि